न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. थानाराम कुम्हार पुत्र देवाराम जी कुम्हार, जाति-कुम्हार, निवासी-गोगाजी की गली, कैलाशनगर, तहसील-शिवगंज, जिला- सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर)

फर्म:- रामदेव किराणा स्टोर, लक्ष्मीनारायण मंदिर रोड, कैलाशनगर, तहसील-शिवगंज

2. सीतादेवी पत्नी रामलाल रावल, निवासी- कन्या पाठशाला वाली गली, कैलाशनगर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्म:- रामदेवी किराणा स्टोर, लक्ष्मीनारायण मंदिर रोड, कैलाशनगर, तह. शिवगंज

3. बजरंग कुमार अग्रवाल पुत्र लाधूराम अग्रवाल, निवासी- नगर पालिका के पीछे, बनकाली वाला वास, वार्ड नं. 15, सुमेरपुर, जिला- पाली (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- बजरंग कुमार अग्रवाल एण्ड संस, जोधेश्वर मन्दिर, पोस्टर ऑफिस रोड, सुमेरपुर

4. Anil Agrawal (खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर)

फर्म:- Agrawal Foods, 01, Gala No 9, Amrit Industrial Estate, Waliv, Vasai East, Palghar, Maharastra-401208

प्रकरण संख्या: 10/2020

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति: अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 25 अगस्त, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 15.10.2018 को 1.00 पी.एम. पर फर्म रामदेव किराणा स्टोर, लक्ष्मी नारायण मंदिर रोड, कैलाशनगर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही पर पँहुचा। वहां पर उपस्थित व्यक्ति को परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति थानाराम कुम्हार पुत्र देवाराम जी, जाति- कुम्हार, निवासी- गोगाजी की गली, कैलाशनगर है एवं फर्म रामदेव किराणा स्टोर, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, कैलाशनगर पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से मौजूद है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ [illegible] (मानसा [illegible]) अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 [illegible] तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान में [illegible] खाद्य पदार्थ घी गाय

.....पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

(मानसी ब्राण्ड) के 8X500 M.L. सील पैक्ड जारों में से खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) 4X500 M.L. पैक्ड जार रखीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 760/- खाद्य कारोबारकर्ता को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-833, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-833 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता राहुल अग्रवाल व गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 16.10.2018 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधुपर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 15.10.2018 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) का नमूना S-833 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथे अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर प्रतिवादीगण के द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-4 (अनिल अग्रवाल) को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या-4 इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ एवं न ही प्रतिवादी संख्या- 4 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या-4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) प्रकरण में दिनांक 17.8.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता श्री दवे की बहस सुनी गई। जिन्होंनें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या 3 ने खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) को निर्माता फर्म अग्रवाल फूड्स से मूल कम्पनी पैक अवस्था में जरिये बिल क्रय किया था एवं उसी खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) को प्रतिवादी संख्या 3 ने मूल कम्पनी पैक अवस्था में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेचान किया था, जहां से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने घी गाय (मानसी ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु लिया था, वह खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट में मिथ्याछाप पाया गया है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मूल कम्पनी पैक खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) से कोई छेडछाड नही की गई है। उक्त खाद्य पदार्थ के पैकिंग लेबल पर हुई छोटी सी त्रुटि के लिये निर्माता फर्म जिम्मेदार है। यह कि Food Safety and standard Authairity of Indias के परिपत्र दिनांक 17.1.2020 में यह निर्देश दिये गये है कि खाद्य पदार्थ के पैकिंग लेबल पर हुई छोटी त्रुटि के लिये संबंधित निर्माता/खाद्य कारोबारकर्ता को भूल सुधार करने हेतु सूचित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करना चाहिये। उक्त परिपत्र के संलग्न सूची के क्रम संख्या 6 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि Non Compliance in respect of capital letter/Mentioned Box/Font size है तो content की पालना माना चाहिये। चूंकि इस प्रकरण में भी खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ के पैकिंग लेबल पर Best before को Capital Letters के बजाय small letters में अंकित किया हुआ पाया जाने से खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप पाया गया है। अतः Food Safety and standard Authairity of Indias के परिपत्र दिनांक 17.1.2020 के अनुसरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत यह न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया तथा न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 15.10.2018 को [illegible] बजे [illegible] श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म रामदेव किराणा स्टोर, लक्ष्मीनारायण मन्दिर रोड, कैलाशनगर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से थानाराम कुम्हार पुत्र देवाराम जी कुम्हार, जाति- कुम्हार, निवासी- गोगाजी की गली, कैलाशनगर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म रामदेव किराणा स्टोर, लक्ष्मीनारायण मंदिर रोड, कैलाशनगर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री शैतानराम, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता थानाराम कुम्हार को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) के 8 सील पैक्ड जार (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) के 4 सील पैक्ड जार खरीदे एवं खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 760/- (अक्षरे रुपये सात सौ साठ मात्र) विक्रेता थानाराम कुम्हार को अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाह एवं मैनेजर थानाराम कुम्हार के समक्ष मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-833, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर मैनेजर थानाराम कुम्हार व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खरीद शुदा खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) के चारों पैक्ड जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-833 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मैनेजर व गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता/मैनेजर थानाराम कुम्हार व उक्त गवाह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का रसीद बिल, लेबल की प्रति एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म रामदेव किराणा स्टोर, लक्ष्मीनारायण मंदिर रोड, कैलाशनगर में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर थानाराम कुम्हार से [illegible] पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, [illegible] जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ

.....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला अभिभाषक
सिरोही-307001.

घी गाय (मानसी ब्राण्ड)के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 16.10.2018 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 15.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-833 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./711/Act/2018/728 दिनांक 25.10.2018 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म रामदेव किराणा स्टोर, लक्ष्मीनारायण मंदिर रोड, कैलाशनगर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही में मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता थानाराम कुम्हार से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) का नमूना S-833 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-2 (सीतादेवी पत्नि रामलाल रावल) की फर्म रामदेव किराणा स्टोर, कैलाशनगर द्वारा खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) के 500 एम.एल. के पैक्ड जारों को फर्म बजरंकुमार अग्रवाल एण्ड सन्स, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमेरपुर, जिला- पाली से जरिये बिल संख्या 3723 दिनांक 08.10.2018 के द्वारा क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या-3 (बजरंग कुमार अग्रवाल) की फर्म है। प्रतिवादी बजरंग कुमार अग्रवाल की फर्म बजरंगकुमार अग्रवाल एण्ड सन्दस, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमेरपुर द्वारा खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) के 500 एम.एल. के पैकड जारों को प्रतिवादी फर्म Agrawal Foods से जरिये टेक्स इनवोईस नम्बर 2 दिनांक 10.8.2018 के द्वारा क्रय किया गया था, जो खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प[illegible]/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्र[illegible] मानक अधिनियम 2006 की

....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ग्रा० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी सीतादेवी पत्नि रामलाल रावल, निवासी- कन्या पाठशाला वाली गली, कैलाशनगर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म रामदेव किराणा स्टोर, लक्ष्मीनारायण मंदिर रोड, कैलाशनगर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 3,000/- (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी बजरंग कुमार अग्रवाल पुत्र श्री लाधूराम अग्रवाल, निवासी- नगरपालिका के पीछे, बनकाली वाला वास, सुमेरपुर, जिला- पाली, खाद्य कारोबाकरर्ता एवं मालिक, फर्म बजरंगकुमार अग्रवाल एण्ड सन्स, जोधेश्वर महादेव मन्दिर, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमेरपुर, जिला- पाली पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का तथा मिथ्याछाप Misbranded) खाद्य पदार्थ घी गाय (मानसी ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी अनिल अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, निर्माता फर्म Agrawal Foods, o1, Gala No.9, Amrit Industrial Estate, Waliv, Vasai East, Palghar, Maharashtra-401208 पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:49 IST
Reason: SelfAttested